न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025 / 602 दर्ज तिथिः–26.08.2025

सरकार बनाम अजमालराम वगैरह

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–29.09.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 304 / 2.0225 है0 एवं 304 / 1 / 3.3897 है0 मौजा पनोणी धतरवालों की ढाणी, पटवार मण्डल निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। है। उक्त रास्ता को राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। जिसका प्रस्तावित नक्शा निम्नानुसार हैः–

राजस्थान सरकार
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)
NIC-BHUNAKSHA
तहसील : नौखड़ा
दिनांक : 20/08/2025 12:52:35 PM
ग्राम : पनोणी धतरवालो की ढाणी
भू. अ. नि. क्षेत्र : नौखड़ा

खसरा संख्या :304/1 क्षेत्रफल : 3.3897 Hectare खाता संख्या : 67पुराना खाता संख्या :63
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [3.3897, 1.05]
1.) जसाराम पुत्र दूदाराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2.) रणछाराम पुत्र दूदाराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार
3.) रामाराम पुत्र दूदाराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार
4.) हीराराम पुत्र दूदाराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) नोखड़ा
जिला - बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:38:14 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल खसरा संख्या 304/1 के खातेदार अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में खसरा संख्या 304/1 के खातेदारों द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रस्तावित उक्त रास्ते से अत्यंत कम घर जुड़ रहे हैं। साथ ही उक्त रास्ता मौके पर बारहमासी चालू रास्ता नहीं है। आगे कथन किया कि उक्त प्रस्तावित रास्ते से खसरा संख्या 304/1 के दो टुकड़े हो रहे हैं। जिससे अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी को जोतने, सिंचाई करने आदि में अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही निवेदन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के प्रावधान दिये गये हैं। परंतु हस्तगत प्रकरण में वर्णित रास्ता मौके पर चालू नहीं होने के आधार पर उक्त परिपत्र के अधीन नहीं आने के कारण उक्त आवेदन काबिल–ए–खारिज है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में आगे कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131 एवं 136 के तहत नये रास्तों को प्रस्तावित कर उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के प्रावधान नहीं होने के आधार पर उक्त आवेदन काबिल–ए–खारिज है।

3. प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी द्वारा मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए उक्त आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर चालू है। साथ ही उक्त प्रेषित मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार नोखड़ा स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है। अतः अप्रार्थीगण का उक्त आक्षेप निराधार प्रतीत होता है।

5. इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू–अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार बारहमासी कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यदित किए जाने के प्रावधान बनाए हुए है। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण में मौके पर चालू बारहमासी कदीमी रास्ते को प्रकरण में मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:38:14 IST
Reason: SelfAttested

सरकार बनाम अजमालराम वगैरह
2025 / 602
निर्णय दिनांकः—29.09.2025

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू—राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 304/2.0225 है0 एवं 304/1/3.3897 है0 मौजा पनोणी धतरवालों की ढाणी, पटवार मण्डल निम्बलकोट तहसील नोखड़ा पर मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.06 12:38:14 IST
Reason: SelfAttested